न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 29/2025

दामोदर व अन्य बनाम उप जिला कलक्टर बसवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अमर सिंह गुर्जर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 श्री श्याम सुन्दर शर्मा उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा के समक्ष एक वाद संख्या 141/2022 तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी रमेश चन्द बनाम गोविन्द सहाय वगैरा का पेश किया गया है। जिसमें भूमि ग्राम जावली का बाड तहसील बसवा स्थित भूमि मुतदाविया का वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति व समझौते से भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर शामलाती में काश्त करते चले आ रहे है। जिसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने दावा तकास्मे के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर बिना विभाजन कराये तथा बिना कन्वर्ट करवाये कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकरी बसवा के समक्ष मौका कमिश्नर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर के आदेश में नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 से मिलकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमा दिया। अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन अधिकरी से साज कर रखी है तथा बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से गलत आधारो पर प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 3 को उपखण्ड अधिकरी बसवा के चैम्बर में दिनांक 02.04.2025 को बैठे हुये बात करते हुये देखा है और अप्रार्थीगण गांव में अपने मिलने वालों से सरे आम कह रहे हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को पीठासीन अधिकरी बसवा से खारिज करवा देंगे। जिससे पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अतः उनवानी प्रकरण रमेश चन्द बनाम गोविन्द सहाय दावा संख्या 141/2022 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा निवेदन किया गया कि बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 88/2022 उनवान रमेश चन्द बनाम गोविन्द सहाय वगैरा में अन्तिम निर्णय दिनांक 31.07.2024 को ही हो चुका है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दिनांक 04.04.2025 को पेश किया गया है। उक्त तथ्य को आधार मानकर इतने विलम्ब से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र पेश करने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है। किन्तु ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया गया है। गलत तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थीग[illegible] प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।	

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपखण्ड अधिकारी बसवा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर का अंकन किया गया है जो पूर्णतया गलत व असत्य है। प्रकरण से सम्बन्धित अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 88/2022 उनवानी रमेश चन्द बनाम गोविन्द सहाय वगैरा में अन्तिम निर्णय भी दिनांक 31.07.2024 को हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र इस कदर तहरीर किया गया है वह काबिले खारिज है। जो कि न्यायालय की गरिमा के विरूद्ध है। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण किये जाने एवं प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर पेश किये जाने के तथ्यों के आधार पर प्रकरण का स्थानान्तरण अन्य सक्षम न्यायालय में किये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम निर्णय दिनांक 31.07.2024 को ही हो जाना एवं प्रकरण में कोई प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर पेश नहीं किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नीयत से ही पेश किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17..07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:25 IST
Reason: SelfAttested